FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भीलवाडा

वर लाल जैन पुत्र केसरीमल जैन निवासी– बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा – प्रार्थी	बनाम	ग्राम पंचायत बिजौलियां जिरिये सरपंच तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा वगेरा –विपक्षी

प्रकरण संख्या 27 / 2023 निगरानी

तारीखहुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.02.2023	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। विपक्षी को नोटिस जारी करे। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब की जावे। प्रकरण पंजीबद्ध कर सुनवायी हेतु दिनांक 17.03.2023 को पेश हो। अति0 जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
17/3/23	पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 31/3/23 को पेश हो। रीडर अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
31/3/23	पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता अधिवक्ता उप. निगरानीकर्ता स्वयं की उपस्थित। निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता अधिवक्ता ने इत्तिला कर निवेदन किया कि वे पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। पत्रावली को Not press किया जाकर इसकी कार्यवाही drop की जावे। निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता अधिवक्ता द्वारा पत्रावली Not press किये जाने से पत्रावली की कार्यवाही इसी स्थगित रोप की जाती है। पत्रावली नस्ती से कर दें। अति. जिला कलक्टर भीलवाडा	Not press 31/3/23 कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं